तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 38/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
12.7.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (मनोज कुमार पुत्र घनश्याम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, पटवार घर के पास, भाटकडा, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही), प्रतिवादी संख्या–2 (राहुल राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म राजपुरोहित इण्डस्ट्रीज, रिको इण्डस्ट्रीज एरिया, Gegal, अजमेर) एवं प्रतिवादी संख्या–3 (हितेश राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Surendra Dairy, F-08, RIICO Industrial Area, Gegal, Ajmer) अनपुस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.6.2023 को फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, पटवार भवन के पास, भाटकडा, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता मनोज कुमार पुत्र घनश्याम जी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) का नमूना संख्या S-2154 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1817/Act/2023/1860 दिनांक 10.7.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रतिवादी मनोज कुमार व प्रतिवादी राहुल राजपुरोहित इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 28.6.2024 को उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादी मनोज कुमार स्वयं ने तथा प्रतिवादी राहुल राजपुरोहित स्वयं व प्रतिवादी हितेश राजपुरोहित की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी मनोज कुमार व प्रतिवादी राहुल राजपुरोहित को सुना गया, जिन्होनें अनुरोध किया कि यह उनका प्रथम अपराध है व भविष्य में अमानक खाद्य सामग्री का विक्रय नही करेंगे। अतः प्रकरण में कम जुर्माना करके निस्ताण करावे। प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 28.6.2023 को फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, पटवार भवन के पास, भाटकडा, सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता प्रतिवादी से मनोज कुमार पुत्र	

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:17:00 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 38/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	घनश्याम जी उपस्थित मिले, जो फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, पटवार भवन के पास, भाटकडा, सिरोही में आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) का विक्रय करता है। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री श्रवणसिंह, वाह चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रतिवादी विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता मनोज कुमार पुत्र घनश्याम जी को भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटो में से घी (Ajmer fresh Brand) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) की कीमत राशि रुपये 1,080/– (रुपये एक हजार अस्सी मात्र) प्रतिवादी विक्रेता मनोज कुमार पुत्र घनश्याम जी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2154, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता मनोज कुमार व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (Ajmer fresh Brand) के चारों पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2154 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता मनोज कुमार पुत्र घनश्याम जी व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां .....लगातार	

न्यायालय मजि० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:17:00 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य जिला परिषद
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 38/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.6.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबु लाल मीणा, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 28.6.2023 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म कृष्णा ट्रडिंग कम्पनी, पटवार भवन के पास, भाटकडा, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता व खाद्य कारोबारकर्ता मनोज कुमार पुत्र घनश्याम जी से खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) के नमूना संख्या S-2154 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1817/Act/2023/1860 दिनांक 10-7-2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी मनोज कुमार पुत्र घनश्यामजी की प्रोपराईटरी फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, पटवार भवन के पास, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों को फर्म राजपुरोहित इण्डस्टीज, रिको इण्डस्ट्रीज एरिया, गेगल, अजमेर से जरिये बिल क्रय किया था, जो प्रतिवादी राहुल राजपुरोहित की प्रोपराईटरी फर्म है एवं प्रतिवादी राहुल राजपुरोहित की फर्म राजपुरोहित इण्डस्ट्रीज, रिको इण्डस्ट्रीज एरिया, गेगल, अजमेर द्वारा खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) के 500–500 एम.एल के पैक्ड पैकेटो को फर्म सुरेन्द्र डेयरी, एफ 8, रिको इण्डस्ट्रीज एरिया, गेगल, अजमेर से जरिये बिल क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी हितेश राजपुरोहित की प्रोपराईटरी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, जिसके अनुसार अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी हितेश राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Surendra Dairy, F-08, RIICO Industrial Area, Gegal, Ajmer दोषी है। प्रतिवादी हितेश राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Surendra Dairy, F-08, RIICO Industrial Area, Gegal, Ajmer ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं .....लगातार	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:17:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला कलिक्टर
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 38/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (Ajmer fresh Brand) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी हितेश राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Surendra Dairy, F-8, RIICO Industrial Area, Gegal, Ajmer पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी हितेश राजपुरोहित को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 20.8.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज.) ★

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:17:00 IST
Reason: SelfAttested